न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशोरायपाटन जिला बून्दी (राज0)

[illegible]सीन अधिकारी :–   विनित कुमार सुखाड़िया (RAS)

वाद पत्र संख्या :–   62/2020

1. रामकुमार आयु 36 साल आ0 प्रभूलाल जाति धाकड निवासी जलोदा तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0

—— वादी

बनाम

1. प्रभूलाल आयु 75 साल आ0 नारायण जाति धाकड निवासी जलोदा तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0
2. श्रीनाथ आयु 32 साल आ0 प्रभूलाल जाति धाकड निवासी जलोदा तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0
3. सियाराम आयु 30 साल आ0 प्रभूलाल जाति धाकड निवासी जलोदा तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0
4. रामकरण आयु 50 साल आ0 प्रभूलाल जाति धाकड निवासी जलोदा तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0
5. राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार के0पाटन
6. कैलाश बाई पुत्री प्रभूलाल पत्नि गिरिराज जाति धाकड निवासी जलोदा हाल निवास रायता तहसील व जिला बून्दी राज0
7. फूलन्ता पुत्री प्रभूलाल पत्नि खेमराज जाति धाकड निवासी जलोदा हाल निवास रंगपुरिया तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0
8. विमला बाई पुत्री प्रभूलाल पत्नि रामभरोष जाति धाकड निवासी जलोदा हाल निवास किशनपुरा तहसील व जिला बून्दी राज0

—— प्रतिवादीगण

वादः— अधिकार घोषणा व बंटवारा भूमि
अन्तर्गत धारा 88,89,53 रा[illegible] एक्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinit Kumar Sukhadiya
Date: 2021.08.02 16:49:59 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति :—

1— वादी की ओर से श्री चन्द्रप्रकाश नागर, एडवोकेट

2— प्रतिवादी की और से श्री निलेश कुमार सामरिया, एडवोकेट।

–::निर्णय::–

दिनांकः 26.07.2021

1. वादीगण के द्वारा दिनांक 25.08.2020 को वाद अधिकार घोषणा व बंटवारा भूमि का पेश किया गया।
2. वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खाता संख्या नया 142 व पुराना 135 की कृषि भूमि खसरा संख्या 258 रकबा 0.14 है0, खसरा सं. 321 रकबा 0.36 है0, 406/1616 रकबा 0.11 है0, खसरा सं. 1354 रकबा 0.65 है0, खसरा सं. 1355 रकबा 0.45 है0, खसरा सं. 1356 रकबा 0.15 है0, खसरा सं. 1373 रकबा 0.14 है0, खसरा सं. 1374 रकबा 0.16 है0, खसरा सं. 1375 रकबा 0.16 है0, खसरा सं. 1376 रकबा 0.17 है0, खसरा सं. 1377 रकबा 0.28 है0, खसरा सं. 1378 रकबा 0.28 है0, खसरा सं. 1379 रकबा 0.03 है0, खसरा सं. 1608 रकबा 0.57 है0 कुल किता 14 कुल रकबा 3.65 है0 किस्म नहरी द्वितीय वाके ग्राम व माल जलोदा, पटवार हल्का जलोदा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 में विस्थित है तथा कृषि भूमि खाता संख्या नई 319 पुरानी 292 की कृषि भूमि खसरा संख्या 696 रकबा 0.87 है0 किस्म नहरी द्वितीय वाके ग्राम व माल अरनेठा पटवार क्षैत्र अरनेठा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 में विस्थित है। वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि पुश्तैनी कृषि भूमि है जो पुरखो से पीढ़ी दर पीढी चली आ रही है तथा सम्पूर्ण भूमि पुश्तैनी भूमि है जिसमें वादी को जन्म से ही अधिकार प्राप्त है। वादी 1/5 हिस्से का पृथक बंटवारा प्राप्त करने का अधिकारी है कि वादी पृथक से निवास कर रहा है तथा अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिये अपने हिस्से में प्राप्त होने वाली कृषि भूमि का हिस्सा प्राप्त करना चाहता है क्योंकि उक्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 के खाते में दर्ज होने से उक्त भूमि को रहन, बय व अन्यत्र हस्तान्तरण करने पर आमादा है। अन्त में प्रार्थना की गई कि वाद वर्णित कृषि भूमि में से वादी के कब्जे काश्त की भूमि का 1/5 हिस्से का पृथक बंटवारा दर्ज किये जाने की विधिवत घोषणा की जावे तथा प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 का 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 हिस्से का पृथक–पृथक बंटवारा दर्ज किया जावे।
3. वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 व 6 लगायत 8 ने वादी के वाद पत्र का इकबालिया जवाब पेश कर वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी सं. 6 लगायत 8 ने अपने जवाब में वर्णित किया कि वह वाद वर्णित कृषि भूमि में अपना कोई हिस्सा प्राप्त नही करना चाहती है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 व प्रतिवादी सं. 6 लगायत 8 की और से दिनांक 24.03.2021 को आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinit Kumar Sukhadiya
Date: 2021.08.02 16:49:59 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभयपक्ष सुनी गई। उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 24.03.2021 को बाद जॉच तस्दीक किया गया। राजीनामा तथा इकबालिया जवाब के आधार पर वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

—::निर्णय::—

परिणामस्वरूप वादीगण का वादपत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है। आराजी खाता संख्या 142 की खसरा सं. 1356 रकबा 0.15 है0, 1608 रकबा 0.57 है0, खसरा सं. 1373 रकबा 0.14 है0, खसरा सं. 1376 रकबा 0.17 है0, खसरा सं. 1377 रकबा 0.28 है0, खसरा सं. 1378 रकबा 0.28 है0, खसरा सं. 1379 रकबा 0.03 है0, खसरा सं. 1355 रकबा 0.45 है0 में से 0.11 है0 उत्तर दिशा कुल किता 8 कुल रकबा 1.73 है0 वाके ग्राम जलोदा तहसील के0 पाटन, वादी रामकुमार आ0 प्रभूलाल के हिस्से में रहेगी। आराजी खाता सं. 142 की खसरा सं. 258 रकबा 0.14 है0 में से 0.06 है0 पश्चिम दिशा, खसरा सं. 406/1616 रकबा 0.11 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.17 है0 वाके ग्राम जलोदा तहसील के0 पाटन, प्रतिवादी सं. 1 प्रभूलाल आ0 नारायण के हिस्से में रहेगी। आराजी खाता सं. 142 की खसरा सं. 1354 रकबा 0.65 है0, खसरा सं. 1375 रकबा 0.16 है0, खसरा सं. 1355 रकबा 0.45 है0 में से 0.34 है0 दक्षिण दिशा कुल किता 3 कुल रकबा 1.15 है0 वाके ग्राम जलोदा तहसील के0 पाटन, प्रतिवादी सं. 2 श्रीनाथ आ0 प्रभूलाल के हिस्से में रहेगी। आराजी खाता सं. 142 की खसरा सं. 321 रकबा 0.36 है0, खसरा सं. 1374 रकबा 0.16 है0, खसरा सं. 258 रकबा 0.14 है0 में से 0.08 है0 पूर्व दिशा कुल किता 3 कुल रकबा 0.60 है0 वाके ग्राम जलोदा तहसील के0 पाटन, प्रतिवादी सं. 3 सियाराम आ0 प्रभूलाल के हिस्से में रहेगी। आराजी खाता सं. 319 की खसरा सं. 696 रकबा 0.87 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.87 है0 वाके ग्राम अरनेठा तहसील के0 पाटन, प्रतिवादी सं. 4 रामकरण आ0 प्रभूलाल के हिस्से में रहेगी। बैंक रहन बदस्तुर रहेगा। तहसीलदार केशवरायपाटन को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2021 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी के0 पाटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinit Kumar Sukhadiya
Date: 2021.08.02 16:49:59 IST
Reason: SelfAttested

(विनित कुमार सुखाड़िया)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन

डिकरी ब मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Prodeedure Code Appendix 'd' -1)

अज अदालत
उपखण्ड अधिकारी मुकाम के0 पाटन

इजलास – विनित कुमार सुखाड़िया
(आर.ए.एस.)

रामकुमार v/s प्रभूलाल वगै0

वादः– अधिकार घोषणा व बंटवारा भूमि

मुकदमा नम्बर :: 62/2020

वादी की और से श्री चन्द्रप्रकाश नागर, अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 1 लगा. 4 व 6 लगा. 8 की ओर से श्री निलेश कुमार सामरिया की उपस्थिति में आज दिनांक 26.07.21 को हुक्म दिया जाता है व वाद निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि–

''वादीगण का वादपत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है। आराजी खाता संख्या 142 की खसरा सं. 1356 रकबा 0.15 है0, 1608 रकबा 0.57 है0, खसरा सं. 1373 रकबा 0.14 है0, खसरा सं. 1376 रकबा 0.17 है0, खसरा सं. 1377 रकबा 0.28 है0, खसरा सं. 1378 रकबा 0.28 है0, खसरा सं. 1379 रकबा 0.03 है0, खसरा सं. 1355 रकबा 0.45 है0 में से 0.11 है0 उत्तर दिशा कुल किता 8 कुल रकबा 1.73 है0 वाके ग्राम जलोदा तहसील के0 पाटन, वादी रामकुमार आ0 प्रभूलाल के हिस्से में रहेगी। आराजी खाता सं. 142 की खसरा सं. 258 रकबा 0.14 है0 में से 0.06 है0 पश्चिम दिशा, खसरा सं. 406/1616 रकबा 0.11 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.17 है0 वाके ग्राम जलोदा तहसील के0 पाटन, प्रतिवादी सं. 1 प्रभूलाल आ0 नारायण के हिस्से में रहेगी। आराजी खाता सं. 142 की खसरा सं. 1354 रकबा 0.65 है0, खसरा सं. 1375 रकबा 0.16 है0, खसरा सं. 1355 रकबा 0.45 है0 में से 0.34 है0 दक्षिण दिशा कुल किता 3 कुल रकबा 1.15 है0 वाके ग्राम जलोदा तहसील के0 पाटन, प्रतिवादी सं. 2 श्रीनाथ आ0 प्रभूलाल के हिस्से में रहेगी। आराजी खाता सं. 142 की खसरा सं. 321 रकबा 0.36 है0, खसरा सं. 1374 रकबा 0.16 है0, खसरा सं. 258 रकबा 0.14 है0 में से 0.08 है0 पूर्व दिशा कुल किता 3 कुल रकबा 0.60 है0 वाके ग्राम जलोदा तहसील के0 पाटन, प्रतिवादी सं. 3 सियाराम आ0 प्रभूलाल के हिस्से में रहेगी। आराजी खाता सं. 319 की खसरा सं. 696 रकबा 0.87 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.87 है0 वाके ग्राम अरनेठा तहसील के0 पाटन, प्रतिवादी सं. 4 रामकरण आ0 प्रभूलाल के हिस्से में रहेगी। बैंक रहन ब[illegible]ा। तहसीलदार केशवरायपाटन को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व [illegible] में अमल दरामद करे।''

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinit Kumar Sukhadiya
Date: 2021.08.02 16:49:59 IST
Reason: SelfAttested

नीज .... ग .... मुबलिक ....ग .... बाबत .... ग .... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह .... ग .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलवादी तक ....ग .... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज दिनांक 26/07/2021 को जारी की गई।

(मोहर)

(विनित कुमार सुखाड़िया)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinit Kumar Sukhadiya
Date: 2021.08.02 16:49:59 IST
Reason: SelfAttested